तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बसन्तराज मेहता. बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 197/2023 ( )	
24.08.23	अपीलार्थी बसन्तराज मेहता,, मंत्री नव भारत गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.02.23.23 में उसके द्वारा (1) नव भारत गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जोधपुर के अतिरिक्त कलक्टर जोधपुर के प्रकरण सं0 22/1982 जो ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 827/751 की भूमि में से 10 बीघा भूमि के आवासीय रूपान्तरण हेतु पेश की गई, की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 943 दिनांक 03.08.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि धारा 5(4) के तहत सूचना देने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर (भूमि रूपान्तरण) को पत्रांक 489 दिनांक 19.04.23 के द्वारा स्थानान्तरित किया गया, जहां से सूचना प्राप्त नहीं हुई अतः सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से धारा 5(5) के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर (भूमि रूपान्तरण) जोधपुर को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करने की इस्तदुआ की। चूंकि अतिरिक्त कलक्टर (भूमि रूपान्तरण) जोधपुर द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त कलक्टर, भूमि रूपान्तरण (लोक सूचना अधिकारी) जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने का कारण अवगत करवाया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	